न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील संख्या – 2019/2012/223 आर टी ए

1. मीनू नाबालिग, 16 वर्ष पुत्री स्व0 श्री कुलदीप पुववत्र श्री जोतराम , जरिये कुदरतीवलिया व माता श्रीमति सुमन धर्मपत्नि स्व0 कुलदीप, जाति जाट, निवासी ढ़ाणी चक 4केएचआर, खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हुनमानगढ़।
2. गीतादेवी धर्मपत्नि श्री जोतराम, आयु 66 वर्ष जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–अपीलांट/तृतीय पक्षकार

बनाम

1. सुलोचना पत्नि स्व0 श्री कुलदीप, जाति जाट निवासी ढ़ाणी चक 4 केएचआर, खाराखेडा, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
2. संवतरी धर्मपत्नि स्व0 श्री प्रहलाद पुत्र श्री जोतराम,
3. दलविन्द्र नाबालिग पुत्र
4. मोनिका नाबालिग पत्री
5. कोनिका नाबालिग पुत्री

पिसरान श्री प्रहलाद पुत्र जोतराम, जरिये कुदरती वली व माता श्रीमति संवतर धर्मपत्नी प्रहलाद

अकवास जाट, निवासीगण ढ़ाणी चक 4 केएचआर, खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

–रेस्पोडेंट/वादीगण

6. जोतराम पुत्र श्री डुंगरराम, जाति जाट, निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
7. सुमेस्ता पुत्री श्री जोतराम धर्मपत्नि श्री महेन्द्र जाति जाट निासी ढ़ाणी एमजेडी रोही रतनपुरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़
8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

–रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 04.12.2012 न्यायलय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी राजस्व वाद संख्या 106/2009 बयनवानी सुलोचना बनाम जोतराम

उपस्थित :–

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

निर्णय दिनांक:–4.04.2019

1. यह कि अपील से सम्बंधित सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधिनस्थ न्यायलय के समक्ष प्रंसगत कृषि भूमि चक 9 केएचआर तहसील टिब्बी भूमि के सम्बधं में इन अधिकथनों के साथ वाद पत्र प्रस्तुत किया कि उक्त वर्णित भूमि श्री जोतराम रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को विरासतन प्राप्त हुई है तथा पैतृक सम्पति है। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के दो पुत्र कुलदीप व प्रहलाद थे जो फौत हो चुके है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक स्व0 कुलदीप एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 स्व0 प्रहलाद के

Web Copy - Not Official

में बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्स घोषित किये जाने का निवेदन किया व तदनुसार खाताविभाजन की डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

2. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने इस वाद पत्र का विरोध किया तथा समस्त भुमि पैतृक होने के तथ्य से इन्कार करते हुए कुल भुमि में से 6 बीधा भूमि स्वंय कि खरीदशुदा व स्वंय अर्जित होना प्रकट किया व यह कथन भी किए कि उक्त भूमि के अलावा उसने 15 बीधा भूमि अपने दोनो पुत्रो के नाम से खरीद की जो उस कि स्वंय की अर्जित भूमि है व इस भूमि में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 का कोई हक नही है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकीर ने वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 ने प्रश्नगत भूमि प्रहलाद एवं कुलदीप का पैतृक सम्पति में होने के नाम प्राप्त संभावित हिस्सा के आधार पर अपना हक क्लेम किया है। प्रहला एवं कुलदीप का प्रश्नगत भूमि में 1/4–1/4 हिस्सा में केवल रेस्पोडेण्ट सं0 1 से 5 ही अधिकारी नहीं थे बल्कि अपीलाण्ट संख्या 2 गीता जो पहलाद एवं कुलदीप की माता है भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्रश्नगत भूमि की वारिस थी। रेस्पोडेण्टान अपीलाण्ट संख्या 2 को छुपाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है। अपीलाण्ट संख्या 1 कुलदीप की द्वितीय पत्नी सुमन से उत्पन्न है तथा यह द्वितीय विवाह प्रथम पत्नी रेस्पोडेण्ट संख्या के विवाह के प्रभावशील रहने से अवैध होते हुए भी इस अवैध विवाह से उत्पन्न सन्तान होते हुए भी अपीलाण्ट संख्या 1 वैध सन्तान थी। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार अपने पिता की भूमि में हक हिस्सा है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने वादपत्र में 1/4 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा की घोषणा चाही थी इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसके पक्ष में 1/4 हिस्सा के खातेदार होने की घोषणा जारी की है जो कतई गलत व विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट संख्या 2 एक प्रभावित पक्षकार है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में 2011 (1) डीएनजे(एसी) पेज 383, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, 155 व हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पैतृक संपति है जसमें वादी व प्रतिवादीगण का दावे में वर्णितानुसार हक व हिस्सा है। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. बहस में आये तथ्यों एवं धारा 96 सीपीसी में अंकित तथ्यों के अनुसार एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालय में वाद रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा का था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि को पैतृक भूमि मानते हुए वाद वादी डिक्री किया है। प्रश्नगत भूमि जोतराम प्रतिवादी के नाम दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जोतराम के वारिसान हैं। वादीगण कुलदीप एवं प्रहलाद के वारिसान हैं। अपीलाण्ट संख्या 2 प्रतिवादी जोतराम की पत्नी हैं एवं अपीलाण्ट संख्या 1 प्रतिवादी जोतराम की पोत्री है। इस तथ्य से रेस्पोडेण्टान ने इन्कार नही किया है। विवाद पैतृक भूमि संबंधी है और पैतृक भूमि में सभी वारिसान का हक व हिस्सा होता है। अपीलाण्टान के जोतराम के वारिस होने के तथ्य पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कोई विवाद नहीं है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्टान को वाद में पक्षकार नही बनाया गया है और सभी वारिसान की पूर्ण जांच कर किये बिना एवं उनको पक्षकार बनाये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, विधि सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2012 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त वारिसान की पूर्ण जांच करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.05.2019 को पेश हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/04/19

(मूल चन्द) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official